

पत्रांक: 323 / 55 बजट (मार्ग/सेतु- अनुरक्षण)/2018-19  
सेवा में,

दिनांक: 30/07/2018

मुख्य अभियन्ता,  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं०-22, लेखाशीर्षक-3054 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण मद के अन्तर्गत अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों में आवंटन।

- संदर्भ:- (1) शासनादेश संख्या-1503/111 (2)/18-03 (बजट)/2018 दिनांक-09.04.2018  
(2) इस कार्यालय का आवंटन पत्र संख्या 166/55 बजट (मार्ग/सेतु अनुरक्षण)/2018-19 दिनांक 19.06.2018  
(3) अधिशासी अभियन्ता, नि०ख० लो०नि०वि० रूडकी का पत्र संख्या 2009/1 ए दिनांक 20.07.2018  
(4) अधिशासी अभियन्ता, नि०ख० लो०नि०वि० पाबौं का पत्र संख्या 542/बजट दिनांक 13.07.2018  
(5) अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख० लो०नि०वि० देहरादून का पत्र संख्या 2414/1 ए दिनांक 28.07.2018

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 (क्र०सं० 1) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या 22, लेखाशीर्षक 3054-04-337-03-01-24 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण मद में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष इस कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित आवंटन पत्र (क्र०सं० 2) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओ द्वारा अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों के सापेक्ष खण्डो को पूर्व में खण्डवार कुल ₹ 51.40 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। वर्तमान में योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि तथा अधिशासी अभियन्ता, नि०ख० लो०नि०वि० रूडकी तथा अधिशासी अभियन्ता, नि०ख० लो०नि०वि० पाबौं एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रा०खण्ड, देहरादून द्वारा पूर्ण किये गये नवीनीकरण कार्यों में सूचित धनावंटन की मॉग के क्रम में सम्बन्धित कार्यदायी खण्डो को अब निम्नविवरणानुसार कुल ₹ 150.84 लाख (₹ एक करोड़ पचास लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि निम्न वर्णित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	खण्ड का नाम	अनुमोदित लम्बाई(किमी० में)	अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों की लागत	वित्तीय वर्ष 2018-19 में नवीनीकरण कार्यों हेतु आवंटन		
				पूर्व आवंटन	अब आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	निर्माण खण्ड, रूडकी	21.74	205.96	140.00	65.96	205.96
2	निर्माण खण्ड, पाबौं	10.00	120.00	90.00	30.00	120.00
3	प्रान्तीय खण्ड, देहरादून	27.60	294.88	240.00	54.88	294.88
योग, (क्र०सं० 1+3)		59.34	620.84	470.00	150.84	620.84

आवंटन की शर्त:- (1) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा उपरोक्तानुसार खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय, वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओ द्वारा अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों को पूर्ण किये जाने पर सुनिश्चित किया जायेगा, तथा अनुमोदित नवीनीकरण कार्य उच्च प्राथमिकता एवं तात्कालिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यवार/खण्डवार अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों में प्रदत्त अनुमोदित स्वीकृति से अधिक का व्यय, किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और न ही अनुमोदित धनराशि से अधिक के दायित्व सृजित किये जायेंगे अन्यथा व्यायाधिक्य एवं वित्तीय दायित्वो के अधिक सृजन हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी माने जायेंगे।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय, उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेंट नियमावली 2017 (संशोधित) में निर्धारित प्रक्रियाओं/निर्दिष्ट मानकों, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा टेण्डर विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों के सम्पादन में गुणवत्ता तथा तकनीकी मानको का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ वित्तीय मितव्ययता सम्बन्धी प्रचलित नियमो का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं० 22, लेखाशीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु-04 जिला तथा अन्य सड़कें-राजस्व-337 सड़क निर्माण कार्य-03 अनुरक्षण एवं मरम्मत 01 प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि:-निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो०ओ०-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।  
(2) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।  
(3) वित्त नियंत्रक, कार्या० प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो०नि०वि० देहरादून। आवश्यक साख-सीमा निर्गत करने हेतु।  
(4) अधीक्षण अभियन्ता, नवाँ/सिविल/बारहवा वृत्त लोक निर्माण विभाग देहरादून/हरिद्वार/पौड़ी।  
(5) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/रूडकी/पाबौं।  
(6) आईटी०सेल, कार्या० प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि., देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

1.T  
upload  
मौ.  
01/08/18  
(देवेंद्र शाह)  
अधिशासी अभियन्ता

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)  
30/7/18